प्रस्तावना

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) को राष्ट्र के प्रति अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह निश्चय ही 2006 से 2009 तक की हमारी विभिन्न रिपोर्टों का संकलन है। यह आयोग हमारे ज्ञानाधार के विशाल भंडार का लाभ उठाने के निमित्त एक कार्ययोजना तैयार करने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था जिससे कि हमारे लोग 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ मुकाबला कर सकें। हमें यह पता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसके लिए केवल संसाधनों और समय की ही जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसके साथ–साथ एक साहसपूर्ण कल्पना और त्वरित कार्यान्यवन पर दीर्घकालीन आधार पर बल दिया जाना होगा।

एनकेसी के अधिदेश के केन्द्र में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका संबंध सुलभता, अवधारणाओं, सृजन, प्रयोग और सेवाओं के साथ है। हमने इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया है कि इन प्राचलों से विशेष रूप से ज्ञान की सुलभता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक सुविज्ञ समाज का निर्माणकैसे किया जाए। इन 5 ध्यातव्य क्षेत्रों में हमने विभिन्न विषयों को शामिल किया है जो इनके साथ संबंधित हैं: शिक्षा का अधिकार, भाषाएं, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा, गणित और विज्ञान में और अधिक छात्र, व्यावसायिक शिक्षा, और अधिक स्तरीय पीएच.डी., मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा संसाधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए कानूनी रूपरेखा, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान, नवाचार, उद्यमशीलता, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियां, कृषि, जीवन स्तर और ई–अभिशासन में सुधार।

इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में हमने कार्यकारी समूहों का आयोजन किया जिनमें सरकार, शैक्षिक समाज, उद्योग, सिविल समाज, मीडिया तथा अन्य के क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल थे जिससे कि इस सारी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाया जा सके। कार्यकारी समूहों से विभिन्न परामर्श करने और आयोग में चर्चा तथा वाद–विवाद के लिए एक श्वेत पत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया था। इस प्रविधि के आधार पर आयोग के सदस्यों द्वारा बहुमत से सिफारिशों के एक अंतिम सेट को लेकर सहमति हुई। फलतः हमारा यह विश्वास है कि ये सिफारिशें क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों की चिंताओं और आकांक्षाओं को परिलक्षित और समाविष्ट करती हैं।

पिछले तीन वर्षों में एनकेसी ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्रों के रूप में 27 विषयों पर लगभग 300 सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों को राष्ट्र को प्रस्तुत की गई हमारी रिपोर्टों में, विचारगोष्ठियों, सम्मेलनों, चर्चाओं में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और इन्हें राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मीडिया द्वारा कवर किया गया है। ये सिफारिशें एनकेसी वेबसाइट के माध्यम से 10 भाषाओं में उपलब्ध भी हैं। स्वयं लाभार्थियों तक पहुंचने के हमारे कार्यक्रम के अंग के रूप में हमने विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों, सीआईआई, एफआईसीसीआई, एआईएमए तथा अन्य के सहयोग से विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सिफारिशों पर चर्चा करने और राज्य स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बारे में हम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क रखते रहे हैं। अधिकांश राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है।

एनकेसी की परिकल्पना के प्रति यूपीए की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपनाई गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित होती है। यह योजना विस्तार, उत्कृष्टता और साम्यता पर विशिष्ट बल देते हुए त्वरित और समावेशी उन्नति के वास्ते एक केन्द्रीय साधन के रूप में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। यह बात 3 ट्रिलियन रुपए के प्रस्तावित आबंटन से परिलक्षित होती है जोकि 10वीं योजना की तुलना में चार गुना वृद्धि का परिचायक है। इस प्रकार समग्र योजना में शिक्षा का हिस्सा 7.7 से बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा जोकि जीडीपी के 6 प्रतिशत के लक्ष्य की दिशा में एक विश्वसनीय प्रगति का परिचायक होगा। प्रधानमंत्री की कल्पना और राजनैतिक क्षेत्र के भीतर हमारे नेताओं की सहायता निश्चय ही प्रशंसनीय है। सरकारी नियोजन के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पहल है। हमारा विश्वास है कि 11वीं योजना में प्रस्तुत शिक्षा की कार्यसूची एक बराबरी के समाज के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह हमारी सतत उन्नति, रोजगार सृजन, आधारिक–तंत्र के विकास तथा अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं का भी मूलाधार है।

12 जनवरी, 2007 को राष्ट्र के प्रति पहली एनकेसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रधानमंत्री ने आग्रहपूर्वक यह कहा था कि आयोग को ''अपने नवाचारी विचारों के कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में अवश्य सहयोजित किया जाना चाहिए''। हमारे कार्य का बल यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि जहां हमारी सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय आबंटनों से समर्थित उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करेगी वहां उसी के साथ—साथ हम एक अनुकूल मत तैयार करने के लिए विविध हितधारकों के साथ जुड़े रहेंगे तथा ग्रासरूट स्तर पर कार्यान्वयन कार्यनीतियां तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे। व्यापक और वैविध्यपूर्ण हितधारकों से सतत संवाद बनाए रखना, सिफारिशें तैयार करने तथा बाद में उनका प्रसार करने——दोनों ही अर्थों में हमारी कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है।

जहां तक कार्यान्वयन का संबंध है हम पाते हैं कि वैयक्तिक उन्नति और विकास प्राप्त करने के एक साधन के रूप में शिक्षा को लेकर बहुत उत्साह और बल रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बच्चों और अभिभावकों की बढ़ती हुई आकांक्षाएं, शिक्षा की बढ़ती हुई मांग में जोकि आपूर्ति की मुकाबले कहीं अधिक बढ़कर है परिलक्षित होती हैं। क्षेत्रीय सोच से युक्त कठोर संगठनात्मक संरचनाओं के चलते नए विचारों, प्रक्रिया पुनर्निर्माण, बाह्य हस्तक्षेप, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर अभी भी विरोध की स्थिति बनी हुई है। परिणामतः असली चुनौती नए विनियामक तंत्र, नई आपूर्ति प्रणालियों और नई प्रक्रियाओं से युक्त संगठनात्मक नवाचार में निहित है। हमारा देश इतना विशाल, इतना जटिल और वैविध्यपूर्ण है कि सभी समाधानों के लिए 'एक ही आकार फिट' नहीं हो सकता। कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण और समुदाय की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है।

हम आशा करते हैं कि त्वरित कार्यान्वयन की दृष्टि से हमारी सिफारिशों को राज्य और केन्द्रीय सरकार में विभिन्न स्तरों पर उत्साह और सहयोग प्राप्त होगा। हमारा मानना है कि जनसांख्यिकी, विषमता तथा विकास से जुड़ी हुई तीन बुनियादी चुनौतियों की ओर ध्यान देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्यान्वयन एक प्रमुख तत्व है। हमारे समाज में विषमताओं को कम करने का अवसर देने की दृष्टि से निर्धनों और सुविधावंचितों के लिए ज्ञान, शिक्षा और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उत्पादकता, प्रभाविता में सुधार लाने और लागत में कमी लाने की दृष्टि से भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से हमें समुचित शिक्षा के जरिए 25 वर्ष से कम आयु के 550 मिलियन युवकों को सामर्थ्यवान बनाना है और शिक्षित करना है ताकि भावी उन्नति और समृद्धि का निर्माण किया जा सके। भारत का भाग्य उन्हीं के हाथों में है।

सिफारिशें तैयार करते समय हम इस तथ्य से मार्गदर्शित हुए हैं कि भारत के आम लोगों की जिंदगी को ज्ञान कैसे प्रभावित करेगा। हमें इस बात का अहसास है कि ज्ञान का अर्थ यह है कि किसानों के लिए जल, भूमि, मौसम और उर्वरकों से संबंधित सही जानकारी सुलभ हो; छात्रों के लिए उत्तम शिक्षा और नौकरियां सुलभ हों; वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशालाएं तथा उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति सुलभ हो और लोग एक गुंजायमान लोकतंत्र में उत्तम अभिशासन के बीच अपने को सामर्थ्यवान महसूस करें।

अंत में मैं सभी सदस्यों और अपने युवा साथियों को उनके असाधारण योगदान, समर्पण तथा चले आ रहे सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं विभिन्न कार्यदलों तथा कार्यशालाओं के सदस्यों, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सरकार और उद्योग में विभिन्न अन्य व्यक्तियों और संगठनों का उनके योगदान और समर्थन के लिए आभार प्रकट करूंगा।

जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें राष्ट्र के लिए एक आह्वान है। कार्य करने और सिफारिशों को कार्यरूप देने का यही समय है।

सैम पित्रोदा
अध्यक्ष
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग